

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , कोर्ट सं० ०७, मरे ठ।

उपस्थित : रामलाल—द्वितीय उ० प्र० न्यायिक सवे ।

आदेश ।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त ने कहा कि वह गरीब आदमी है। अभियुक्त ने न्यायिक प्रक्रिया में सहयागे किया है। अभियुक्त को धारा एम०वी०एक्ट में अभियुक्त को धारा एम०वी०एक्ट अधिनियम के अंकन २० रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर वह २ दिन का साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त स

दिनांक: १४.१२.२०१९

(कमल दीप)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,
कोर्ट सं० ०७, मेरठ।